न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 431/2016
पंजीयन दिनांक 03.11.2016

(1). मांगीलाल पिता मथरा जाति डांगी निवासी ठिकरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). तुलसीराम पिता मथरा जाति डांगी निवासी ठिकरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). नन्दलाल पिता किशना जाति डांगी निवासी ठिकरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). बोतलाल पिता किशना जाति डांगी निवासी ठिकरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). कंवलचन्द पिता किशना जाति डांगी निवासी ठिकरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(4). लालुराम पिता किशना जाति डांगी निवासी ठिकरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(5). मांगीबाई पुत्री किशना जाति डांगी निवासी ठिकरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(6). भगवानलाल पिता भूरा जाति मीणा निवासी मलुकदास की खेड़ी तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(7). बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शंभुपुरा जरिये प्रबन्धक
(8). सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 33/2016 प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.05.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1). मोहनलाल जाट -अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). खूमराज कुमावत- अधिवक्ता रेस्पो0 1 से 5
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 7

निर्णय **दिनांक 01.09.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 5 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 5 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलांटगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की नवीन खाता संख्या 323 मे दर्ज आराजी संख्या 1306 रकबा 2.17 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट का 1/4 हक हिस्सा एवं अपीलांट प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हक हिस्सा निहित है व वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपीलांटगण स्वयं के हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अन्त मे उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात का वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 के मौके पर काबिज अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बंटवाड़ा किया जाकर पृथक-पृथक खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया साथ ही प्रतिवादीगण उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयत मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी नहीं करे और न ही खुर्द बुर्द रहन विक्रय आदि करे इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.01.2016 को वास्ते जवाबदावा नियत की गई जिसके लिए आगामी तारीख पेशी 09.03.2016 नियत की गई। दिनांक 13.05.2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर घटियावली मे रखी जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने का आदेश पारित किया गया व पत्रावली वास्ते बईन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02.06.2016 को नियत की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायाहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थना-पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया। जिसका अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात बहस प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी पर सुनी गई। उक्त प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज व अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत जवाब का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जो राजस्व रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियाँ है जिन्हे अपीलांटगण प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत नही कर पाये है। उक्त दस्तावेज इस प्रकरण से सुसंगत प्रतीत होते है । साथ ही दौराने बहस अंतिम अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने मे अनापत्ति होना स्वीकार किया जिससे अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजों को रेकॉर्ड पर लिया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.01.2016 को वास्ते जवाबदावा नियत की गई । आदेशिका दिनांक 04.01.2016 मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.03.2016 नियत की जाकर दिनांक 10.03.2016 के सम्मन नोटिस जारी किये गये व पत्रावली मे दिनांक 10.03.2016 की आदेशिका मे कांट-छांट की जाकर पत्रावली की आदशिका मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.03.2016 नियत की गई। परन्तु दिनांक 04.01.2016 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादीगण को जारी किये गये सम्मन नोटिस मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.03.2016 को नियत होना अंकित है। इस प्रकार उक्त आदेशिका दिनांक 04.01.2016 एवं आदेशिका दिनांक 09.03.2016 एवं सम्मन नोटिस मे अंकित आगामी तारीख पेशी संदेहास्पद एवं विरोधाभासी है, जिससे वास्तविक आगामी तारीख पेशी पर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित नहीं हो सके। तत्पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.05.2016 को नियत की गई। अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की बिना सूचना व तामील हुये बिना व बिना जवाबदावे के पत्रावली दिनांक 13.05.2016 को न्याय आपके द्वार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पर पटियावली मे रखी गई जिसकी कोई सूचना प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपीलांटगण को नहीं थी। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से परे जाकर बिना उभय पक्षकारान की सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रकिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्याायलय मे वादपत्र बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात मे निहित रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण के हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किये जाने का निवेदन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर लोक अदालत के तहत उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा पक्षकारान के निहित हक हिस्से अनुसार यथासंभव पक्षकारान के मौके पर कब्जे वाले भाग को उनके हिस्से मे रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात के बंटवाड़े की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायायल द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे मौजा घटियाली की आराजी संख्या 1306 रकबा 2.17 हैक्टेयर जो रेस्पोडेन्टगण वादीगण व अपीलांटगण प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है, के विभाजन का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त पत्रावली तामील मे विचाराधीन रहते हुए अपरिपक्व वादपत्र को बिना लिखित राजीनामे के लोक अदालत मे नियत किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की है। उक्त प्राथमिक निर्णय व डिकी के विरुद्ध अपील इस न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए उभय पक्षकारान की ओर से विवादित कृषि आराजीयात के संबंध मे आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी के तहत उभय पक्षकारान की ओर से राजस्व रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत की गई है जिन्हे इस न्यायालय के द्वारा उभय पक्षकारान को सुना जाकर रेकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया गया है। जिससे इस न्यायालय मे प्रस्तुत दस्तावेजो का परीक्षण किया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित होने से आदेश 41 नियम 28 जाप्ता दीवानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त दस्तावेजों के परीक्षण हेतु अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 33/2016 प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 13.05.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो को भेजा जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त दस्तावेजों का पुनः परीक्षण कर आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए, तनकीवार, अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 06.10.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)